06/11/24

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पक्षकार-
प्रार्थी - उप.। प्रार्थना पत्र खारिज किया
जाता है। पृथक निर्णय शामिल किया गया।
पत्र जारी हो। नम्बर से कम हो।
आदेश सुनाया गया।

GCMS
2023/397

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.11.11 16:43:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक जिलाधीश, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 45/2023 GCMS:-2023/397 **प्रविष्टी दिनांक : 06.04.2023**

कुलदीपसिंह पुत्र श्री जैदसिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 एफ.डी.एम. 'बी' तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

– प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ बहैसियत प्रतिनिधि भू.धारक
2. बलकरणसिंह पुत्र जैदसिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 एफ.डी.एम तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

– अप्रार्थीगण

उपस्थिती :–

1. एडवोकेट श्री सुरेन्द्र सुथार –प्रार्थी
2. प्रतिवादी नं. 01 पैरोकार राज.

निर्णय **दिनांक :** 06.11.2024

प्रार्थी ने इस न्यायालय में धारा 251 'क' आर.टी.ए. के तहत एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह कि प्रार्थी व प्रार्थी के भाई बलकरणसिंह पुत्र जैदसिंह के नाम से चक 5 एफ. डी.एम. के खाता नं. 19/58 के पत्थर नं. 94/333 (4) के किला नं. 16 में 0.253 है0, 17/1 में 0. 240 है0, 22/1 में 0.025 है0 23/1 में 0.202 है0, 24–25 में 0.506 है0, = 1.226 है0 कमाण्ड व पत्थर नं. 94/337 (25) के किला नं. 1/1 में 0.228 है0, 1/2 में 0.025 है0 2/1 में 0.228 है0, 2/2 में 0.25 है0 खाला, 3/1 में 0.228 है0, 3/2 में 0.25 है0 खाला, 4/1 में 0.228 है0, 4/2 में 0.25 है0 खाला, 5/1 में 0.228 है0, 5/2 में 0.25 है0 खाला, किला नं. 6–7 में 0.506 है0 अनकमाण्ड, 8 ता 10 में 0.759 है0 कमाण्ड, 11 ता 25 में 3.795 है0 अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 7. 551 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसकी जमाबंदी सम्वत 2074 ता 77 की प्रमाणित प्रति जो EXP 1 पर प्रदर्श है।

प्रार्थी की खातेदारी भूमि चक 5 एफ.डी.एम. 'बी' के खाता नं. 19/58 के पत्थर नं. 94/333 (4) के किला नं. 22/1 व 23/1 में ट्यूब्वैल लगा हुआ है। प्रार्थी उक्त ट्यूब्वैल से अपने नाम की खातेदारी भूमि के चक 5 एफ.डी.एम 'बी' पत्थर नं. 94/337 के रकबा तक पत्थर नं. 94/334 के किला नं. 2, 9, 12, 19, 20 व 21 अराजीराज रकबा व पत्थर नं. 94/335 के किला नं. 1, 10, 11, 20 व 21 में मंजूरशुदा रास्ता व पत्थर नं. 94/336 के किला नं. 1, 10,11, 20 व 21 के मंजूरशुदा रास्ता से पत्थर नं. 94/337 के किला नं. 1 तक मंजूरशुदा रास्ता में 4 फुट नीचे अच्छी किस्म की पाईप दबा कर सिंचाई सुविधा कर रखी है जो मौका पर चालु है। प्रार्थी दबाई गयी अच्छी किस्म की पाईप की स्वीकृति लेना चाहता है। प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार सूरतगढ़ से रिपोर्ट तलब की गयी तहसीलदार सूरतगढ़ की रिपोर्ट क्रमांक 429/[illegible] के आधार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड चक 5 एफ.डी.एम. के पत्थर नं. 94/333, के किला नं. 2[illegible] प्रार्थी की ट्यूबवैल है व पत्थर नं. 94/333 के किला नं. 22 से पत्थर नं. 94/334 के किला नं. 2, 9, 11, 20 व 21 व पत्थर नं. 94/335 के किला नं. 1,10, 11, 20 व 21 प्रत्येक में 0.02[illegible]0 गै.मु.रास्ता से होकर पत्थर नं.

क्रमशः पेज 02 पर ....

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.11.11 16:43:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

94/336 के किला नं. 1, 10, 11, 20 व 21 प्रत्येक में 0.25 है0 गै.मु.रास्ता व पत्थर नं. 94/337 के किला नं. 1, 10, 11 तक मौका पर पाईप लाईन दबाई गयी है कि अनुमति चाहता है। अतः जमाबंदी प्रति, नजरिये नक्शा, मौका फर्द, मौका रिपोर्ट भू.अभि.लेखा निरीक्षक मौका मय पटवारी हल्का भगवानसर एंव दस्तावेज पत्र के संलग्न कर निवेदन है कि राज्य हित को ध्यान मे रखते हुए प्रार्थनापत्र में प्रार्थीगण को नियमानुसार स्वीकृति दिया जाना उचित है व अप्रार्थी नं. 02 द्वारा जरिये शपथपत्र उक्त पाईप लाईन की स्वीकृति हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है जो संलग्न प्रार्थनापत्र है जो प्रदर्श नं. 02 है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेज भी देखे गये। जो सभी प्रमाणित प्रतिलिपी होने के कारण विश्वसनीय एंव संतोषजनक एंव तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र 251 'क' आर.टी.ए. स्वीकार योग्य है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र 251 'क' आर.टी.ए. स्वीकार करते हुए आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी को स्वयं की धारित भूमि चक 5 एफ.डी.एम. 'बी' के खाता नं. 19/58 के पत्थर नं. 94/333 (4) के किला नं. 16 में 0.253 है0, 17/1 में 0.240 है0, 22/1 में 0.025 है0 23/1 में 0.202 है0, 24–25 में 0.506 है0, = 1.226 है0 कमाण्ड व पत्थर नं. 94/337 (25) के किला नं. 1/1 में 0.228 है0, 1/2 में 0.025 है0 2/1 में 0.228 है0, 2/2 में 0.25 है0 खाला, 3/1 में 0.228 है0, 3/2 में 0.25 है0 खाला, 4/1 में 0.228 है0, 4/2 में 0.25 है0 खाला, 5/1 में 0.228 है0, 5/2 में 0.25 है0 खाला, किला नं. 6–7 में 0.506 है0 अनकमाण्ड, 8 ता 10 में 0.759 है0 कमाण्ड, 11 ता 25 में 3.795 है0 अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 7.551 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि के पत्थर नं. 94/333 के किला नं. 22/1 में लगे टयूब्वैल से अराजीराज रकबा पत्थर नं. 94/334 के किला नं. 2, 9, 12, 19, 20 व 21 व पत्थर नं. 94/335 के किला नं. 1, 10, 11, 20 व 21 में मंजूरशुदा रास्ता व पत्थर नं. 94/336 के किला नं. 1, 10,11, 20 व 21 के मंजूरशुदा रास्ता से पत्थर नं. 94/337 के किला नं. 1 तक मंजूरशुदा रास्ता के प्रत्येक में 4 फुट नीचे धरातल में अच्छी किस्म की मौका पर चालु पाईप लाईन जो पत्थर नं. 94/337 की 6.325 है0 के रकबा तक चालु पाईप लाईन को स्वीकृत इस शर्त के साथ की प्रार्थी को 4 फुट भूमिगत अच्छी किस्म के पाईप लाईन डालने का आदेश दिया जाता है व पाईप लाईन में आयी हुई भूमि की डी.एल.सी. रेट की 10 प्रतिशत राशि खजाना राज में जमा करवायें। जमा करवाने के उपरान्त यह आदेश प्रभावी रहेगा तथा अगर रास्ता क्षतिग्रस्त होता है तो उसको पूर्व की स्थिती में बहाल करने की जिम्मेवारी प्रार्थी की होगी तथा खर्चा प्रार्थी वहन करेंगा

आदेश सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.11.11 16:43:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर

क्रमांक / राजस्व/251 (क) आर.टी.ए.,~~दिनांक~~ : 0455 दिनांक 07/11/2024

तहसीलदार (राजस्व)
सूरतगढ़।

विषय : प्र.सं. 45/2023 कुलदीपसिंह बनाम स्टेट में निर्णय दिनांक 06.11.24 की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि चक 5 एफ.डी.एम. 'बी' के खाता नं. 19/58 के पत्थर नं. 94/333 (4) के किला नं. 16 में 0.253 है0, 17/1 में 0.240 है0, 22/1 में 0.025 है0 23/1 में 0.202 है0, 24–25 में 0.506 है0, = 1.226 है0 कमाण्ड व पत्थर नं. 94/337 (25) के किला नं. 1/1 में 0.228 है0, 1/2 में 0.025 है0 2/1 में 0.228 है0, 2/2 में 0.25 है0 खाला, 3/1 में 0.228 है0, 3/2 में 0.25 है0 खाला, 4/1 में 0.228 है0, 4/2 में 0.25 है0 खाला, 5/1 में 0.228 है0, 5/2 में 0.25 है0 खाला, किला नं. 6–7 में 0.506 है0 अनकमाण्ड, 8 ता 10 में 0.759 है0 कमाण्ड, 11 ता 25 में 3.795 है0 अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 7.551 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि के पत्थर नं. 94/333 के किला नं. 22/1 में लगे टयूब्वैल से अराजीराज रकबा पत्थर नं. 94/334 के किला नं. 2, 9, 12, 19, 20 व 21 व पत्थर नं. 94/335 के किला नं. 1, 10, 11, 20 व 21 में मंजूरशुदा रास्ता व पत्थर नं. 94/336 के किला नं. 1, 10,11, 20 व 21 के मंजूरशुदा रास्ता से पत्थर नं. 94/337 के किला नं. 1 तक मंजूरशुदा रास्ता के प्रत्येक में 4 फुट नीचे धरातल में अच्छी किस्म की मौका पर चालु पाईप लाईन जो पत्थर नं. 94/337 की 6.325 है0 के रकबा तक चालु पाईप लाईन को स्वीकृत इस शर्त के साथ की प्रार्थी को 4 फुट भूमिगत अच्छी किस्म के पाईप लाईन डालने का आदेश दिया जाता है व पाईप लाईन में आयी हुई भूमि की डी.एल. सी. रेट की 10 प्रतिशत राशि खजाना राज में जमा करवायें। जमा करवाने के उपरान्त यह आदेश प्रभावी रहेगा तथा अगर रास्ता क्षतिग्रस्त होता है तो उसको पूर्व की स्थिती में बहाल करने की जिम्मेवारी प्रार्थी की होगी तथा खर्चा प्रार्थी वहन करेंगा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.11.11 16:43:54 IST
Reason: SelfAttested